संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1936 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. अशोक वारंगा,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–बेतूल, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.अशोक वारंगा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1929/दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र क्रमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1506/दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

5/7

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

............2

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

8/5/17

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1934 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. इंन्द्र कुमार चुघ ,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.इन्द्र कुमार चुघ, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र कमांक 1929/दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र कमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र कमांक 1506/दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर)
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

............2

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1932 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. ममता तिमोरी ,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–दमोह, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.ममता तिमोरी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला दमोह, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1929/दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र क्रमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1506/दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

............2

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1930 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. सनूप सिंह छारी ,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–अशोकनगर, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.सनूप सिंह छारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1929/दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र क्रमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1506/दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

...........2

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1928 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन ,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.नरेन्द्र कुमार जैन, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1929/दिनांक 21.08. 2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र क्रमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1506/दिनांक 20.03. 2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

...........2

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

8/5/7

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1926 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. व्ही.के. गुप्ता,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–मुरैना, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.व्ही.के.गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र कमांक 1929/दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र कमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र कमांक 1506/दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

...........2

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1924 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. अजीत प्रसाद मिश्रा,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–भिण्ड, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.अजीत प्रसाद मिश्रा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश।

00—00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1929/दिनांक 21.08. 2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र क्रमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1506/दिनांक 20.03. 2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

............2

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1922 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. रामप्रसाद परमार ,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–उज्जैन, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.रामप्रसाद परमार, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1929/दिनांक 21.08. 2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यंप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र क्रमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1506/दिनांक 20.03. 2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

...........2

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 1920 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. शिव कुमार पाण्डे ,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.शिव कुमार पाण्डे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश।

00—00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1929/दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र क्रमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 1506/दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

...........2

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/1918 भोपाल, दिनांक 5/7/2019

प्रति,

डॉ. विनोद कुमार गुप्ता ,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला–ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्धः– डॉ.विनोद कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र कमांक 1929/दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से आपको मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर, उनका तत्काल नियमानुसार भुगतान करने हेतु एवं संबंधित संस्था मेसर्स एंजीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रकरण MSME Commissionerate Gandhinagar के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में यदि MSME Commissionerate द्वारा कार्पोरेशन पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित किया जाता है, तो उक्त राशि संबंधित से व्यक्तिगत रूप से वसूल किये जाना निर्देशित किया गया था। तत्संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पुनः पत्र कमांक 3278/दिनांक 26.12.2018 प्रेषित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र कमांक 1506/दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा लंबित देयकों का तत्काल भुगतान करने हेतु आप को निर्देशित किया गया था। किंतु आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 5/7

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. संचालक प्रशासन, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.ह.स.कार्पो.लि. भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश